Case No.–4286/2022
शासन विरूद्ध शिवकुमार साहू

Witness No... ...(02)... .... for... अभियोजन साक्ष्य....deposition taken the..03/09/2024...day of.....मंगलवार.....Witness's apparent age... 45 Year.....States on affirmation....शपथपूर्वक.....My name is.....**मनोज साहू** ...son of/wife of.....श्री फागूराम साहू..occupation..किसानी...address–– ग्राम–परसवारा थाना–पांडातराई, जिला–कबीरधाम..

नोटः– साक्षी को आज दिनांक 03.09.2024 को शपथ दिलाकर समय 12.45 बजे परीक्षण प्रारंभ किया गया।

01/ मैं, आरोपी वाहन चालक भगत साहू एवं वाहन स्वामी शिवकुमार साहू को घटना के बाद से जानता हूं । मैं मृतक फागूराम साहू को जानता हूं, वह मेरे पिता है । घटना दिनांक 09.11.2022 के दिन की है, मेरे पिता फागूराम घर की मोटर सायकल टी.व्ही एस 100 से कलेक्टर आफिस गये थे तथा कलेक्टर आफिस से वापस हो रहे थे तब सिंघनपुरी के पास एक्सीडेंट हो गया था , जिसकी सूचना मुझे फोन से मिली थी, तो मैं तत्काल हास्पीटल गया था, जहां मैंने देखा कि मेरे पिता जी के सिर में गंभीर चोंटे आई थी तथा शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोंटे आई थी, वहीं पर मुझे पता चला कि मेरे पिता जी जब कलेक्टर ऑफिस से वापस आ रहे थे, तभी सिंघनपुरी के पास एक मोटर सायकल वाले ने मेरे पिता जी को ठोकर मार दिया था, जिससे मेरे पिता जी को चोटें आई थी ।

02/ आरोपी वाहन चालक की लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हुआ था, आरोपी अपनी मोटर सायकल को बहुत तेज चला रहा था, जबकि मेरे पिता जी धीरे धीरे अपनी गाड़ी से आ रहे थे । उसके बाद पुलिस वाले आये थे और घटनास्थल का मौका नक्शा प्रपी–01 तैयार किये थे, जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । पुलिस वाले मेरा बयान लिये थे ।

<u>नोटः– इसी स्तर पर अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पुछे जाने की अनुमति चाही गई। प्रकरण के अवलोकन के बाद अनुमति दी गई।</u>

03/ यह कहना सही है कि जिस गाड़ी से मेरे पिता जी एक्सीडेंट हुआ था, उस गाड़ी का नंबर सी.जी 09 JC 8277 था, जो कि मोटर सायकल था । यह कहना सही है कि घटना के समय उक्त मोटर सायकल को भगत साहू ग्राम दैहानपारा का चला रहा था, जिसकी लापरीवाही की वजह से एक्सीडेंट हुआ था । यह कहना सही है कि गाड़ी क्रमांक सी.जी 09 JC 8277 का वाहन स्वामी शिवकुमार है ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री आदित्य झा वास्ते अभियुक्तगण –

04/ यह कहना सही है कि उक्त घटना के समय मैं वहां पर उपस्थित नहीं था । यह कहना गलत है कि मेरे पिता जिस सी.टी 100 वाहन को चला रहे थे उसके पास वाहन चलाने का लाईसेंस नहीं था । यह कहना गलत है कि मेरे पिता जी अपनी लापरवाही में दुर्घटनाग्रस्त हुये थे । यह कहना सही है कि अनावेदक के खिलाफ दावा किया था, उसमें अधिवक्ता लगाया था ।

05/ यह कहना सही है कि अधिवक्ता ने मुझे बताया है कि क्या–क्या बयान देना है । यह कहना गलत है कि मैं आरोपीगण को फंसाने के लिये झूठा कथन कर रहा हूं । यह कहना गलत है कि विधि के विरूद्ध संघर्षरत बालक की लापरवाही से दुर्घटना नहीं हुआ है ।

नोटः–साक्षी को परीक्षण, प्रतिपरीक्षण पश्चात समय 01.00 बजे छोड़ा गया।

कथन वाचित, सही, स्वीकृत।

सही/–
(श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला–कबीरधाम(कवर्धा)

मेरे बोलने पर टंकित।

सही/–
(श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला–कबीरधाम(कवर्धा)